

राजस्थान सरकार

राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर

क्रमांक:प.2(1)लेखा/बजट/2017/ 17

दिनांक: 20/6/17

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-2) विभाग की आज्ञा क्रमांक:प.7(63) राज/2/2016 दिनांक 15.06.17 द्वारा राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर, APRIS / PTS टोक के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्यों हेतु बजट मद 2059-80-053-(07)-00-21 अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध (राज्य निधि) में वर्ष 2017-18 (वी.ई.) में प्रावधित राशि रुपये 90 लाख को निम्नांकित कार्यों पर निम्नानुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की गई है। जिसके अनुसरण में कार्य कराये जाने की स्वीकृति जारी की जाती है-

बजट राशि का उपयोग निम्नानुसार कार्यों पर सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जायेगा:-

क्र. सं.	संस्था का नाम	कार्य का नाम	कार्यकारी संस्था	(राशि लाखों में) स्वीकृत राशि (लक्षों में)
1	RRTI, Ajmer	Electric Works as per estimate	Ex.En. PWD (Electric) Ajmer	40.00
2	RRTI, Ajmer	Civil Works as per estimate	Ex.En. PWD (Civil) Ajmer	5.00
3	A.P. R.T. S. Tonk	Civil Works as per estimate	Ex.En. PWD (Civil) Tonk	40.00
4	P.T. S. Tonk	Civil Works as per estimate	Ex.En. PWD (Civil) Tonk	5.00
Total:-				90.00

(रिणु जयपाल)
निदेशक

राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
अजमेर

क्रमांक:समसंख्यक/377-384

दिनांक 20/6/17

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बजट मद (मांग संख्या 19) आप के नियन्त्रणाधीन होने से आपको आहरण वितरण अधिकारी घोषित करना आवश्यक नहीं है। अतः कृपया उक्तानुसार कार्य सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से अविलम्ब करवाना का कष्ट करावे।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2) विभाग जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. अधिशाषी अभियन्ता PWD, सिविल खण्ड, अजमेर समस्त कार्य/निविदा प्रक्रिया सम्बन्धित संस्था प्रधान से सम्पर्क कर वरियता अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. अधिशाषी अभियन्ता PWD, विद्युत खण्ड, अजमेर समस्त कार्य/निविदा प्रक्रिया सम्बन्धित संस्था प्रधान से सम्पर्क कर वरियता अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
5. अधिशाषी अभियन्ता PWD, सिविल खण्ड, टोक समस्त कार्य/निविदा प्रक्रिया सम्बन्धित संस्था प्रधान से सम्पर्क कर वरियता अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. प्रधानाचार्य, सर्वउद्देशीय राजस्व प्रशिक्षणालय, टोक।
7. प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण शाला, टोक।
8. भण्डार प्रभारी, संस्थान हाजा।

निदेशक

(रिणु जयपाल)